



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092020-221519
CG-DL-E-02092020-221519

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]
No. 429]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2020/भाद्र 5, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2020/BHADRA 5, 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 535(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 में और आगे संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन नियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, उसे श्री नीरज सचदेवा, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा न. 757-ए, विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 पते पर या neeraz.s@nic.in अथवा av.gawai@nic.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 (जिन्हें बाद में उक्त नियमों के रूप में जाना जाएगा) में, नियम 2.1 में-
(1) 'नामोद्दिष्ट अधिकारी' से संबंधित उप-नियम 2.1.2 में,-

(क) योग्यता से संबंधित खंड-1 में

1. उप-खंड (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

“(i) नामोद्दिष्ट अधिकारी एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा जो उप-मंडलीय अधिकारी की रैंक से नीचे होगा या इसके समकक्ष होगा और इसके पास रसायन विज्ञान विषय सहित विज्ञान में कम से कम स्नातक की डिग्री हो या इन नियमों के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताओं में से कम से कम एक अर्हता हो या जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो या जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य निरीक्षक के रूप में कुल मिलाकर कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो जिसमें एफएसएस अधिनियम की शुरुआत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो।

बशर्ते कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, उक्त क्षेत्र के उप-मंडलीय अधिकारी को खाद्य प्राधिकरण द्वारा अस्थायी रूप से राज्य के लिए विशिष्ट तौर पर अनुमत्य अवधि के लिए अतिरिक्त कार्यभार के आधार पर नामोद्दिष्ट अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है”।

(ii) उप-खंड (i) का लोप हो जाएगा;

(iii) उप-खंड (ii) में, परंतुक का लोप हो जाएगा;

(iv) उप-खंड (iii) में, मद (क) में, “स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के रूप में” शब्दों के बाद और “नियुक्ति के लिए पात्र होगा” शब्दों से पहले, “अथवा इन नियमों के तहत विहित अर्हता वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) शक्तियों और कार्यों से संबंधित खंड -2 में, उप-खंड (ii) क का लोप हो जाएगा;

- (2) 'खाद्य सुरक्षा अधिकारी' से संबंधित उप-नियम 2.1.3 में,-

(क) अर्हता संबंधी खंड 1 में,-

i उप-खंड (i) में “डिग्री” शब्दों के स्थान पर “स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ii उप-खंड (i) में, “चिकित्सा (मेडिसन) में डिग्री” शब्दों के स्थान पर “चिकित्सा में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

iii उप-खंड (ii) में, “केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “समय-समय पर खाद्य प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित” शब्दों और चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) अधिकारों और कार्यों (ड्यूटी) से संबंधित खंड 4 में, उप-खंड (iii) में, मद (घ) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड को जोड़ा जाएगा,-

“(घ क) तत्संबंधी खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट लेबलिंग, विज्ञापन और दावों संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार विश्लेषण हेतु भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थ की किसी भी मद के लेबल की जांच करें और गैर-अनुपालन, यदि पाया जाता है तो इसकी रिपोर्ट छानबीन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी के पास भेजें ताकि अधिनियम या इसके तहत बने नियमों के उपबंध के अनुसार आगे की कार्यवाही की जा सके।”

(3) ‘खाद्य विश्लेषक’ से संबंधित उप-नियम 2.1.4 में, अर्हता संबंधी खंड 1 में, उप-खंड (i) के लिए,-

(क) “डैयरी रसायन विज्ञान” शब्दों के बाद और “या खाद्य प्रौद्योगिकी” शब्दों और चिन्ह से पहले, “कृषि रसायन विज्ञान” शब्दों को जोड़ा जाएगा;

(ख) “डैयरी/तेल में प्रौद्योगिकी स्नातक” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “खाद्य/डैयरी/तेल में पौद्योगिकी स्नातक” शब्दों और चिन्हों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) “और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित” शब्दों के स्थान पर, “खाद्य प्राधिकरण द्वारा” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) उक्त नियम में, ‘नमूना लेने और विश्लेषण’ से संबंधित नियम 2.4 में,-

(क) नमूना लेने की प्रक्रिया और विश्लेषण हेतु इसे भेजने की रीति से संबंधित उप-नियम 2.4.1 में,-

(i) खंड 7 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतस्थापित किया जाएगा;

“7क. मास्क गैर-वियोज्य टेम्पर प्रूफ स्टीकरों के माध्यम से ब्रांड लेबल में ट्रेड नाम तथा बार-कोड सहित नमूने के खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर से संबंधित समस्त जानकारी तथा समुचित कोड नंबर उपलब्ध कराएं।”

(ii) खंड 8 में, “नमूनों को अंतर्विष्ट करते हुए तथा” शब्दों के पश्चात् “पैकिंग से पूर्व नमूनों” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(iii) खंड 9 में, उप-खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“बशर्ते कि, सूक्ष्म जीवविज्ञानीय विश्लेषण, निगरानी, आयात की मंजूरी, सात दिन से कम की वैधता अवधि वाले खराब होने वाले उत्पादों का विश्लेषण, शिकायतों की जांच तथा खाद्य सुरक्षा आपातकालीन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के लिए एकत्र किए गए नमूनों के मामले में, चार नमूनों की आवश्यकता लागू नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में नमूनों की संख्या नीचे तालिका में विनिर्दिष्टानुसार होगी:

क्र.सं.	नमूना लेने की शर्त	नमूनों की संख्या
1	सूक्ष्म जीवविज्ञानीय विश्लेषण	जैसाकि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योगात्मक) विनियम, 2011 के परिशिष्ट ख में विनिर्दिष्ट है।
2	निगरानी	दो नमूने
3	आयात मंजूरी	दो नमूने
4	सात दिन से कम की वैधता अवधि वाले विकारी उत्पादों का विश्लेषण	दो नमूने
5	शिकायतों की जांच और सुरक्षा आपातकालीन प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई	दो नमूने
6	अन्य विशिष्ट मामले, यदि कोई हों	जैसा भी खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाए

ख. उप-नियम 2.4.2 में खंड 7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“7. जैसाकि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया है/अंगीकार किया गया है, विश्लेषण की विधि के मैनुअल का उपयोग खाद्य वस्तुओं के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। तथापि, यदि इन मैनुअलों में विश्लेषण की विधि के लिए कोई पैरामीटर उपलब्ध नहीं हैं, तो खाद्य प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए/विश्लेषणात्मक/विनियामक एजेंसियों द्वारा निर्धारित विश्लेषण की अभिपुष्ट विधि को अंगीकार कर सकता है।”

(5) नामज़द अधिकारी को अपील करने से संबंधित उप-नियम 2.4.6 में, खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“3. विश्लेषण का विधिवत् हस्ताक्षर किया हुआ रैफरल प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाण-पत्र नमूना प्राप्त होने के चौदह कार्य-दिवसों के भीतर भेजा जाएगा:

बशर्ते कि यदि नमूने प्राप्ति के चौदह कार्य-दिवसों के भीतर इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है तो, रैफरल प्रयोगशाला नामज़द अधिकारी को तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्त को इसके कारण बताते हुए और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचित करेगी।

(6) खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से संबंधित प्रपत्र VII क को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

**“प्रपत्र VII क:
खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट
[(संदर्भ नियम 2.4.4(6))]**

रिपोर्ट सं. -----

प्रमाणित किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के प्रावधानों के तहत -----
-----(स्थानीय क्षेत्र का नाम) के लिए विधिवत् रूप से नियुक्त मैंने ------(खाद्य विश्लेषक का नाम), विश्लेषण हेतु --
-----को (नमूना प्राप्त करने की तारीख)-----से-----का एक नमूना प्राप्त किया है, जिसका कोड
नम्बर----- तथा -----क्षेत्र के नामज़द अधिकारी की क्रम सं. -----है।

नमूना प्राप्ति के समय कंटेनर तथा बाहरी कवर पर सील की स्थिति निम्न प्रकार थी:

मैंने नमूने को -----के विनियम सं. -----के तहत----- (नमूने की श्रेणी) के अंतर्गत पाया। नमूना** विश्लेषण के लिए उपयुक्त अवस्था में था तथा ----- (विश्लेषण प्रारंभ और पूरा करने की तारीख दर्शाए) को उसका विश्लेषण किया गया तथा उसके विश्लेषण का परिणाम नीचे दिया गया है/**नीचे दिए गए कारण से नमूना विश्लेषण करने हेतु उपयुक्त अवस्था में नहीं था:

कारण:

विश्लेषण रिपोर्ट

(i) नमूने का विवरण

(ii) भौतिक स्थिति

क्र.सं.	गुणवत्ता विशेषताएं	उपयोग किए गए परीक्षण की विधि का स्वरूप	परिणाम	निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित मानक क. अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार ख. स्वामित्व आहार के लिए लेबल घोषणा के अनुसार
1				
2				
3				
4				
5				
6				

मत***

----- के -----दिन को हस्ताक्षर किए

(हस्ताक्षर/-) खाद्य विश्लेषक

पता:

* भेजने वाले का विवरण दें

** जो लागू न हो उसे काट दें

*** जब मत तथा व्याख्या को शामिल किया गया हो तो, दस्तावेज जिसके आधार पर मत/व्याख्याएं की गई हैं।

[फा. सं. पी.15025/13/2019-एफआर]

मनदीप कुमार भंडारी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम दिनांक 5 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 362(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1516(अ) के तहत इनमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2020

G.S.R. 535(E).—The following draft of certain rules further to amend the Food Safety and Standards Rules, 2011, which the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by section 91 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Shri Neeraj Sachdeva, Under Secretary, Food Regulation Division, Ministry of Health and Family Welfare, Room No.757, A Wing, Nirman Bhawan, New Delhi, or may be sent through e-mail at neeraz.s@nic.in and av.gawai@nic.in;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft rules, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Food Safety and Standards (Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards Rules, 2011 (hereinafter to be referred as the said rules), in rule 2.1, -
 - (1) in sub-rule 2.1.2 relating to ‘Designated Officer’, -
 - (a) in clause 1 relating to qualification, -
 - (i) the sub-clause (i) shall be substituted, as: -

“(i) The Designated Officer shall be a whole time Officer, not below the rank of Sub-Divisional Officer or equivalent and shall possess a minimum of bachelors’ degree in Science with chemistry as one of the subjects or shall possess at least one of the educational qualifications prescribed for the Food Safety Officers under these rules or who has put in not less than 5 years of experience as FSO or has not less than 7 years of experience as Food Safety Officer and Food Inspector combined together of which minimum 4 years as Food Safety Officer after commencement of the FSS Act.

Provided that the Commissioner of Food Safety may with the previous approval of the State Government, appoint Sub-Divisional Officer of the area on additional charge basis as Designated Officer for the period as may be specifically allowed to the state temporarily by the Food Authority”.
 - (ii) the sub-clause (ia) shall be omitted;
 - (iii) in sub-clause (ii), the proviso shall be omitted;
 - (iv) in sub-clause (iii), in item (a), after the words “as Local Health Authority” and before the words “shall be eligible for appointment”, the words “or appointed as Food Safety Officer having qualification prescribed under these Rules” shall be inserted;
 - (b) in clause 2 relating to powers and duties, the sub-clause (ia) shall be omitted;
 - (2) in sub-rule 2.1.3 relating to ‘Food Safety Officer’,-
 - (a) in clause 1 relating to qualification, -
 - i. in sub-clause (i), for the words “a degree”, the words “Bachelor’s or Master’s or Doctorate degree” shall be substituted;
 - ii. in sub-clause (i), for the words “degree in medicine”, the words “Bachelor’s or Master’s or Doctorate degree in medicine” shall be substituted;

- iii. in sub-clause (ii), for the words and symbol “notified by the Central Government,” the words and symbol “as may be approved by the Food Authority from time to time,” shall be substituted.

(b) in clause 4 relating to powers and duties, in sub-clause (iii), after item (d), the following sub-clause shall be inserted, -

“(da) Examine the label of any article of food to be sent for analysis in accordance with the requirements of labeling, advertisement and claims as specified in the relevant Food safety and Standards regulations and send the report of non-compliance, if found, to the Designated officer for scrutiny so as to take further proceedings as per the provision of the Act, or rules made thereunder.”

- (3) in sub-rule 2.1.4 relating to ‘Food Analyst’, in clause 1 relating to qualification, for sub-clause (i), -

(a) after the words “Dairy Chemistry” and before the words and symbol “or Food Technology”, the words “or Agricultural Chemistry” shall be inserted;

(b) for the words and symbols “Bachelor of Technology in Dairy/ Oil”, the words and symbols “Bachelor of Technology in Food/Dairy/ Oil” shall be substituted.

(c) for the words “and notified by the Central government”, the words “by the food Authority” shall be substituted.

- (4) In the said rule, in rule 2.4 relating to ‘Sampling and analysis,-

- a. in sub-rule 2.4.1 relating to Procedure for taking sample and manner of sending it for analysis, -

- (i) after clause 7, the following clause shall be inserted;

“7a. mask all the information relating to the Food Business Operator in the label of the sample including brand/ trade name and bar code through non-detachable tamper proof stickers and provide appropriate code number.”

- (ii) in clause 8, after the words “containing the samples and” the words “prepackaged samples” shall be inserted.

- (iii) in clause 9, after sub-clause (i), the following proviso shall be inserted, namely, -

“provided that, in case of Sample drawn for microbiological analysis, surveillance, import clearance, analysis of perishable product having less than seven days shelf-life, complaint investigation and food safety emergency response, the requirement of four samples shall not apply and number of samples for such condition shall be as specified in the table below:

S. No.	Condition of sampling	Number of samples
1	Microbiological analysis	As specified in Appendix B of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011
2	Surveillance	Two samples
3	Import clearance	Two samples
4	Analysis of perishable product having less than seven days shelf-life	Two samples
5	Complaint investigation and food safety emergency response	Two samples
6	Other special cases, if any	As may be directed by the Commissioner of Food Safety”

- b. in sub-rule 2.4.2, the clause 7 shall be substituted as: -

“7. The manuals of the method of analysis, as amended/ adopted by the Authority from time to time, shall be used for analyzing the samples of food articles. However, in case the method for analyzing any parameter is not

available in these manuals, the Food Authority may adopt a validated method of analysis prescribed by internationally recognized/ analytical/ regulatory agencies.”

(5) in sub-rule 2.4.6 relating to Appeal to the Designated Officer, after clause 2, the following clause shall be inserted, -

" 3. The duly signed certificate of analysis shall be sent within fourteen working days of receipt of sample by the Referral Laboratory:

Provided that in case the sample cannot be analysed within fourteen working days of its receipt, the Referral Laboratory shall inform the Designated Officer and the Commissioner of Food Safety giving reasons and specifying the time to be taken for analysis."

(6) the form VII A relating to report of the food analyst, shall be substituted by the following;

“Form VII A:

Report of the Food Analyst

[(Refer Rule 2.4.4 (6)]

Report No._____.

Certified that I _____ (name of the Food Analyst) duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for _____ (name of the local area) received from _____* a sample of _____, bearing Code number and Serial Number _____ of Designated Officer of _____ area* on _____(date of receipt of sample) for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:

I found the sample to be (category of the sample) falling under Regulation No.____ of _____ . The sample **was in a condition fit for analysis and has been analysed on _____ (give date of starting and completion of analysis) and the result of its analysis is given below/** was not in a condition fit for analysis for the reason given below:

Reasons:

.....
.....

Analysis report

(i) Sample Description

.....

(ii) Physical Appearance

.....

Sl. No.	Quality characteristics	Nature of method of test used	Result	Prescribed standards as per a. As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder b. As per label declaration for proprietary food
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Opinion***

Signed this _____ day of _____ 20

Address:

(Sd/-) Food Analyst.

* Give the details of the senders

** Strike out whichever is not applicable

***When opinion and interpretation are included, document the basis upon which the opinions/interpretations have been made.

[F. No. P.15025/13/2019-FR]

MANDEEP KUMAR BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 362(E), dated the 5th May, 2011 and last amended *vide* notification number G.S.R. 1516(E), dated the 13th December, 2017.